भारत गणराज्य की सरकार
और
इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार
के बीच
हवाई सेवा समझौता

भारत गणराज्य की सरकार और इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार (जिन्हें आगे "पक्षकार" कहा गया है),

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय के पक्षकार होने के नाते, जो 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था,

अपने-अपने क्षेत्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए,

एयरलाइनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय विमानन प्रणाली को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए; और

अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में उच्चतम स्तर की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने तथा वायुयानों की सुरक्षा के विरुद्ध किए गए कृत्यों या धमकियों के संबंध में अपनी गंभीर चिंता की पुनः पुष्टि करते हुए, जो व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, हवाई सेवाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और नागरिक उड्डयन की सुरक्षा में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं,

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1
परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ है–

(1) "वैमानिक प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, इंडोनेशिया गणराज्य के मामले में परिवहन मंत्री तथा कोई व्यक्ति या निकाय जिसे कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो और भारत गणराज्य के मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशक, या वह प्राधिकरण/वे प्राधिकरण जिन्हें समय-समय पर एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाए;

(2) "समझौता" से अभिप्रेत है यह समझौता, इसका अनुलग्नक और इसमें किए गए कोई संशोधन;

(3) "अभिसमय" से अभिप्रेत है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय, जो 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था, और इसमें अभिसमय के अनुच्छेद 94(क) के अंतर्गत प्रभावी हुआ और दोनों पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थित कोई संशोधन, तथा अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अंतर्गत अपनाया गया कोई अनुलग्नक या उसका कोई संशोधन शामिल है, जहाँ तक ऐसे अनुलग्नक या संशोधन किसी समय दोनों पक्षकारों के लिए प्रभावी हों;

(4) "हवाई सेवा", "अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा", "एयरलाइन" और "गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहरने" का वही अर्थ होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में उन्हें दिया गया है;

(5) "नामित एयरलाइन" से अभिप्रेत है ऐसी एयरलाइन जिसे इस समझौते के अनुच्छेद 3 (एयरलाइनों का नामांकन और प्राधिकरण) के अनुसार नामित और अधिकृत किया गया हो;

(6) "टैरिफ" से अभिप्रेत है यात्रियों (और उनके सामान) और/या कार्गो (मेल को छोड़कर) के हवाई सेवा द्वारा वहन के लिए एयरलाइनों द्वारा, उनके एजेंटों सहित, लगाया जाने वाला कोई किराया, दर या प्रभार तथा ऐसे किराए, दर या प्रभार की उपलब्धता को नियंत्रित करने वाली शर्तें;

(7) "क्षेत्र" से अभिप्रेत है, भारत गणराज्य के मामले में, वही अर्थ जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में दिया गया है; और इंडोनेशिया गणराज्य के मामले में, जैसा कि उसके कानूनों में परिभाषित है, तथा महाद्वीपीय शेल्फ और उससे सटे समुद्र का वह भाग जिस पर इंडोनेशिया गणराज्य को समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीएलओएस) 1982 के अनुसार संप्रभुता, संप्रभु अधिकार या अधिकारिता प्राप्त है;

(8) "उपयोगकर्ता प्रभार" से अभिप्रेत है एयरलाइनों पर हवाई अड्डा, हवाई नौवहन या विमानन सुरक्षा सुविधाओं या सेवाओं, जिनमें संबंधित सेवाएँ और सुविधाएँ शामिल हैं, के प्रावधान के लिए लगाया गया प्रभार, जो वायुयानों, उनके चालक दल, यात्रियों, सामान और कार्गो के लिए हैं।

अनुच्छेद 2
अधिकार प्रदान करना

1. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस समझौते में विनिर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है, ताकि इस समझौते के अनुलग्नक के उपयुक्त अनुभाग या भाग में विनिर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ स्थापित की जा सकें। ऐसी सेवाओं और मार्गों को आगे क्रमशः "सहमत सेवाएँ" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा।

2. इस समझौते के उपबंधों के अधीन, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

(क) दूसरे पक्षकार के क्षेत्र के ऊपर बिना उतरे उड़ान भरना;

(ख) दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों के लिए ठहरना करना; और

(ग) इस समझौते के अनुलग्नक में उस मार्ग के लिए विनिर्दिष्ट बिंदुओं पर सहमत सेवा संचालित करते समय, प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में यात्रियों और कार्गो, जिसमें मेल भी शामिल है, को अलग-अलग या संयुक्त रूप से चढ़ाने और उतारने का अधिकार भी होगा।

3. प्रत्येक पक्षकार की वे एयरलाइनें, जो इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अधीन नामित नहीं हैं, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट अधिकारों का भी उपभोग करेंगी।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में कोई भी बात एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में ऐसे यात्रियों और कार्गो, जिसमें मेल भी शामिल है, को चढ़ाने का विशेषाधिकार प्रदान करने वाली नहीं मानी जाएगी जो उस दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में किसी अन्य बिंदु के लिए गंतव्यित हो।

5. यदि विशेष और असामान्य परिस्थितियों के कारण किसी पक्षकार की नामित एयरलाइन अपने सामान्य मार्ग पर सेवा संचालित करने में असमर्थ हो, तो दूसरा पक्षकार पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए

गए उपयुक्त अस्थायी मार्ग-पुनर्विन्यास के माध्यम से ऐसी सेवा के निरंतर संचालन को सुगम बनाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

6. एक पक्षकार की नामित एयरलाइनों को दूसरे पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वायुमार्गों, हवाई अड्डों और अन्य सुविधाओं का गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उपयोग करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 3
एयरलाइनों का नामांकन और प्राधिकार

1. प्रत्येक पक्षकार को विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाओं के संचालन के प्रयोजन से एक या अधिक एयरलाइनों को नामित करने तथा ऐसे नामांकनों को वापस लेने या बदलने का अधिकार होगा। ऐसे नामांकन लिखित रूप में किए जाएंगे और राजनयिक माध्यमों से दूसरे पक्षकार को भेजे जाएंगे तथा यह दर्शाएंगे कि एयरलाइन अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट हवाई सेवाओं के प्रकार को संचालित करने के लिए अधिकृत है या नहीं।

2. दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से निर्धारित रूप और तरीके में नामांकन और आवेदन प्राप्त होने पर, दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी न्यूनतम प्रक्रियात्मक विलंब के साथ उपयुक्त संचालन प्राधिकार प्रदान करेंगे, बशर्ते कि:

(क) उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण, एयरलाइन को नामित करने वाले पक्षकार या उसके नागरिकों में निहित हो;

(ख) नामित एयरलाइन उन कानूनों और विनियमों के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य हो जो आवेदन पर विचार करने वाले पक्षकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संचालन के लिए सामान्यतः लागू किए जाते हैं; और

(ग) एयरलाइन को नामित करने वाला पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) और अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) में निर्धारित मानकों को बनाए रखता और उनका प्रशासन करता हो।

अनुच्छेद 4
संचालन प्राधिकरण का निरसन या निलंबन

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित किसी एयरलाइन को प्रदान किया गया परिचालन प्राधिकार निरस्त या निलंबित कर सकता है अथवा किसी भी मामले में ऐसी शर्तें लगा सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे, जहाँ–

(क) उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण दूसरे पक्षकार या उसके नागरिकों में निहित नहीं है;

(ख) उस एयरलाइन ने इस समझौते के अनुच्छेद 6 (कानूनों का अनुप्रयोग) में उल्लिखित कानूनों और विनियमों का पालन करने में विफलता की है; या

(ग) दूसरा पक्षकार अनुच्छेद 9 (सुरक्षा) में निर्धारित मानकों को बनाए और प्रशासित नहीं कर रहा है।

2. जब तक पैराग्राफ 1 के खंड (ख) और (ग) के आगे और अनुपालन को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक न हो, इस अनुच्छेद द्वारा स्थापित अधिकारों का प्रयोग दूसरे पक्षकार के साथ परामर्श के बाद ही किया जाएगा।

3. यह अनुच्छेद किसी भी पक्षकार के उस अधिकार को सीमित नहीं करता कि वह दूसरे पक्षकार की किसी एयरलाइन के परिचालन प्राधिकार को अनुच्छेद 10 (विमानन संरक्षा) के उपबंधों के अनुसार रोक सके, निरस्त कर सके, सीमित कर सके या उस पर शर्तें लगा सके।

अनुच्छेद 5
सहमत सेवाओं के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

1. दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइनों को अपने-अपने क्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएँ संचालित करने का निष्पक्ष और समान अवसर होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और संचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति दोनों पक्षकारों के बीच सहमत की जाएगी।

3. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमता और संचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई वृद्धि दोनों पक्षकारों के बीच समझौते के अधीन होगी। ऐसे समझौते या निपटान के लंबित रहने तक, पहले से लागू क्षमता और आवृत्ति के अधिकार प्रभावी रहेंगे।

अनुच्छेद 6
कानूनों का अनुप्रयोग

1. किसी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते समय या उससे बाहर जाते समय, वायुयानों के संचालन और नौवहन से संबंधित उसके कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं का दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा पालन किया जाएगा।

2. किसी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करते समय, उसके भीतर रहते समय या उससे बाहर जाते समय, यात्रियों, सामान, चालक दल या कार्गो के उसके क्षेत्र में प्रवेश या उससे प्रस्थान से संबंधित उसके कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं (जिसमें प्रवेश, निकासी, विमानन सुरक्षा, आव्रजन, पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और संगरोध से संबंधित विनियम तथा, मेल के मामले में, डाक विनियम शामिल हैं) का दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों के ऐसे यात्रियों, चालक दल या कार्गो के प्रेषकों द्वारा या उनकी ओर से पालन किया जाएगा।

3. कोई भी पक्षकार इस अनुच्छेद में उपबंधित कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में समान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं में संलग्न दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन की तुलना में अपनी स्वयं की या किसी अन्य एयरलाइन को वरीयता नहीं देगा।

4. किसी भी पक्षकार के क्षेत्र से सीधे पारगमन में रहने वाले यात्री, सामान और कार्गो, जो ऐसे प्रयोजन के लिए आरक्षित हवाई अड्डे के क्षेत्रों से बाहर नहीं जाते, को हिंसा, वायुयान अपहरण, मादक पदार्थ नियंत्रण आदि के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को छोड़कर, सरल नियंत्रण से अधिक के अधीन नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 7
उपयोगकर्ता प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार के सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकारियों द्वारा दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए जा सकने वाले उपयोगकर्ता प्रभार न्यायसंगत, उचित, गैर-भेदभावपूर्ण और सभी श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं के बीच न्यायसंगत रूप से विभाजित होंगे। ऐसे उपयोगकर्ता प्रभार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर उन शर्तों पर लगाए जाएंगे जो प्रभार लगाए जाने के समय किसी अन्य एयरलाइन को उपलब्ध शर्तों से कम अनुकूल न हों।

2. दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) पर लगाए गए उपयोगकर्ता प्रभार सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकारियो द्वारा हवाई अड्डे या हवाई अड्डा प्रणाली के भीतर उपयुक्त हवाई अड्डा, पर्यावरण, हवाई नौवहन और विमानन सुरक्षा सुविधाओं तथा सेवाओं के प्रावधान की पूर्ण लागत को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, लेकिन उससे अधिक नहीं होंगे। ऐसी पूर्ण लागत में मूल्यह्रास के बाद परिसंपत्तियों पर उचित प्रतिफल शामिल हो सकता है। जिन सुविधाओं और सेवाओं के लिए प्रभार लगाए जाते हैं, वे कुशल और आर्थिक आधार पर प्रदान की जाएंगी।

3. प्रत्येक पक्षकार अपने क्षेत्र में सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकारियो और सेवाओं तथा सुविधाओं का उपयोग करने वाली नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के बीच परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकारियो और एयरलाइनों को ऐसी सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रोत्साहित करेगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) और (2) में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार प्रभारों की युक्तिसंगतता की सटीक और पारदर्शी समीक्षा की अनुमति दे। प्रत्येक पक्षकार सक्षम प्रभार लगाने वाले प्राधिकारियो को उपयोगकर्ताओं को उपयोगकर्ता प्रभारों में किसी प्रस्तावित परिवर्तन की उचित सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि परिवर्तन लागू किए जाने से पहले उपयोगकर्ता अपने विचार व्यक्त कर सकें।

4. कोई भी पक्षकार अनुच्छेद 18 (विवादों का निपटारा) के अनुसार विवाद समाधान प्रक्रियाओं में इस अनुच्छेद के किसी उपबंध के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा, यदि–

(क) उसने दूसरे पक्षकार की शिकायत का विषय बने प्रभार या प्रथा की उचित समय के भीतर समीक्षा की है; और

(ख) ऐसी समीक्षा के बाद, उसने ऐसे किसी प्रभार या प्रथा को दूर करने के लिए अपनी शक्ति के भीतर सभी कदम उठाए हैं जो इस अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है।

अनुच्छेद 8
सीमा शुल्क और प्रभार

1. प्रत्येक पक्षकार पारस्परिकता के सिद्धांत पर, अपने राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत संभव पूर्ण सीमा तक, दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को वायुयानों, ईंधन, चिकनाई वाले तेलों, उपभोज्य तकनीकी आपूर्तियों, इंजनों सहित स्पेयर पार्ट्स, नियमित वायुयान उपकरण, वायुयान भंडार (जिसमें खाद्य पदार्थ, पेय और मदिरा, तंबाकू तथा बिक्री के लिए या वायुयानों के संचालन या सर्विसिंग में विशेष रूप से उपयोग के लिए नियत अन्य उत्पाद शामिल हैं, पर इन्हीं तक सीमित नहीं), तथा मुद्रित टिकट स्टॉक, एयर वे बिल, उस पर कंपनी का चिह्न अंकित किसी मुद्रित सामग्री और नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा निःशुल्क वितरित की जाने वाली सामान्य प्रचार सामग्री जैसी अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य राष्ट्रीय शुल्क तथा प्रभार से छूट देगा।

2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूट केवल तभी दी जाएगी जब पैराग्राफ 1 में उल्लिखित वस्तुएँ–

(क) एक पक्षकार के क्षेत्र में दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा या उनकी ओर से लाई गई हों;

(ख) दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश करने या उससे प्रस्थान करने पर एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के वायुयान पर रखी गई हों; या

(ग) सहमत सेवाओं के संचालन में उपयोग के लिए एक पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के वायुयान पर दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में चढ़ाई गई हों।

3. इस अनुच्छेद के अंतर्गत छूट इस तथ्य की परवाह किए बिना लागू होगी कि ऐसी वस्तुएँ छूट प्रदान करने वाले पक्षकार के क्षेत्र में पूर्णतः उपयोग या उपभोग की गई हैं या नहीं, बशर्ते ऐसी वस्तुओं का स्वामित्व उक्त पक्षकार के क्षेत्र में हस्तांतरित न किया गया हो।

4. किसी भी पक्षकार की नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के वायुयान पर सामान्यतः रखे जाने वाले नियमित वायुवाहित उपकरण, सामग्री और आपूर्तियाँ दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में उस पक्षकार के सीमा शुल्क प्राधिकारियो की स्वीकृति के बिना उतारी नहीं जाएंगी। ऐसे मामले में, उन्हें उक्त प्राधिकारियो की निगरानी में तब तक रखा जा सकता है जब तक कि उन्हें पुनः निर्यात न कर दिया जाए या सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार अन्यथा निपटाया न जाए।

अनुच्छेद 9
सुरक्षा

1. कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन के संबंध में वैमानिक सुविधाओं, वायु-चालक दल, वायुयानों और नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के संचालन से संबंधित बनाए रखे गए सुरक्षा मानकों के संबंध में परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श अनुरोध के 30 दिनों के भीतर या पक्षकारों द्वारा सहमत किसी अधिक अवधि के भीतर होगा।

2. यदि ऐसे परामर्श के बाद कोई पक्षकार पाता है कि पैराग्राफ (1) में उल्लिखित क्षेत्रों में उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित मानकों को पूरा करने वाले सुरक्षा मानक दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के संबंध में प्रभावी रूप से बनाए और प्रशासित नहीं किए जा रहे हैं, तो दूसरे पक्षकार को ऐसे निष्कर्षों और इन न्यूनतम मानकों के अनुरूप होने के लिए आवश्यक समझे गए कदमों के बारे में सूचित किया जाएगा, और दूसरा पक्षकार उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करेगा।

3. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) के संचालन प्राधिकार को निलंबित या सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि दूसरा पक्षकार 30 दिनों के भीतर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करता है।

4. यह सहमत है कि किसी एक पक्षकार की एयरलाइन द्वारा दूसरे पक्षकार के क्षेत्र से या उसके लिए सेवाओं पर संचालित कोई वायुयान, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में रहते समय, दूसरे पक्षकार के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा वायुयान पर और उसके आसपास इस उद्देश्य से निरीक्षण का विषय बनाया जा सकता है कि वायुयान के दस्तावेजों तथा उसके चालक दल के दस्तावेजों की वैधता और वायुयान तथा उसके उपकरण की प्रत्यक्ष स्थिति की जाँच की जा सके (इस अनुच्छेद में "रैम्प निरीक्षण" कहा गया है), बशर्ते इससे अनुचित विलंब न हो।

5. यदि ऐसा कोई रैम्प निरीक्षण या रैम्प निरीक्षणों की श्रृंखला निम्नलिखित को जन्म देती है:

– गंभीर चिंता कि कोई वायुयान या वायुयान का संचालन उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं करता; या

– गंभीर चिंता कि उस समय अभिसमय के अनुसार स्थापित सुरक्षा मानकों के प्रभावी रखरखाव और प्रशासन का अभाव है;

तो निरीक्षण करने वाला पक्षकार, अभिसमय के अनुच्छेद 33 के प्रयोजनों के लिए, यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि उस वायुयान या उसके चालक दल के संबंध में प्रमाणपत्र या लाइसेंस जारी या वैध किए जाने की आवश्यकताएँ, अथवा उस वायुयान के संचालन की आवश्यकताएँ, अभिसमय के अनुसार स्थापित न्यूनतम मानकों के बराबर या उनसे ऊपर नहीं हैं।

6. यदि किसी पक्षकार की एयरलाइन द्वारा संचालित वायुयान के रैम्प निरीक्षण के प्रयोजन से इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार पहुँच, उस एयरलाइन के प्रतिनिधि द्वारा रोक दी जाती है, तो दूसरा पक्षकार यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होगा कि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (6) में उल्लिखित प्रकार की गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं और उस पैराग्राफ में उल्लिखित निष्कर्ष निकाल सकता है।

7. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार की एयरलाइन या एयरलाइनों के संचालन प्राधिकार को तत्काल निलंबित या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि पहला पक्षकार, रैम्प निरीक्षण, रैम्प निरीक्षणों की श्रृंखला, रैम्प निरीक्षण के लिए पहुँच से इनकार, परामर्श या अन्यथा के परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकालता है कि एयरलाइन के संचालन की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।

8. किसी एक पक्षकार द्वारा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) या (7) के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई उस आधार के समाप्त हो जाने पर बंद कर दी जाएगी जिसके कारण वह कार्रवाई की गई थी।

अनुच्छेद 10
विमानन संरक्षा

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुसार, दोनों पक्षकार पुनः पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागरिक उड्डयन की संरक्षा की रक्षा करना उनके एक-दूसरे के प्रति दायित्व का इस समझौते का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत उनके अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, पक्षकार विशेष रूप से 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में किए गए वायुयान पर अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों संबंधी अभिसमय, 16 दिसंबर, 1970 को हेग में किए गए वायुयानों के गैर-कानूनी कब्जे के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितंबर, 1971 को मॉन्ट्रियल में किए गए नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के विरुद्ध गैर-कानूनी कृत्यों के दमन संबंधी अभिसमय और 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में किए गए उसके प्रोटोकॉल तथा विमानन संरक्षा संबंधी किसी अन्य अभिसमय, जिसके दोनों पक्षकार सदस्य बनते हैं, के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

2. अनुरोध किए जाने पर, दोनों पक्षकार नागरिक वायुयानों के गैर-कानूनी कब्जे के कृत्यों तथा ऐसे वायुयानों, उनके यात्रियों और चालक दल, हवाई अड्डों और हवाई नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों को रोकने तथा नागरिक हवाई नौवहन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे का सामना करने हेतु एक-दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

3. दोनों पक्षकार अपने पारस्परिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा स्थापित और अभिसमय के अनुलग्नकों के रूप में नामित सभी विमानन संरक्षा मानकों और उपयुक्त अनुशंसित प्रथाओं के अनुरूप कार्य करेंगे; वे यह अपेक्षा करेंगे कि उनके रजिस्टर के वायुयानों के संचालक, ऐसे वायुयानों के संचालक जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास उनके क्षेत्र में है, तथा उनके क्षेत्र के हवाई अड्डों के संचालक ऐसी विमानन संरक्षा व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करें।

4. प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार द्वारा उसके क्षेत्र में प्रवेश और उससे प्रस्थान के लिए अपेक्षित संरक्षा उपबंधों का पालन करने और वायुयानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने तथा चढ़ने या लोड करने से पहले और उसके दौरान यात्रियों, चालक दल, उनके सामान और साथ ले जाए जाने वाली वस्तुओं तथा कार्गो और वायुयान भंडार का निरीक्षण करने के लिए सहमत है। प्रत्येक पक्षकार किसी विशेष खतरे से निपटने के लिए दूसरे पक्षकार द्वारा किए गए विशेष संरक्षा उपायों के अनुरोध पर भी सकारात्मक विचार करेगा।

5. जब वायुयान के गैर-कानूनी कब्जे की कोई घटना या ऐसी घटना की धमकी अथवा यात्रियों, चालक दल, वायुयानों, हवाई अड्डों या हवाई नौवहन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्य की घटना या धमकी उत्पन्न होती है, तो दोनों पक्षकार संचार को सुगम बनाकर और ऐसी घटना या धमकी को शीघ्र तथा सुरक्षित रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से अन्य उपयुक्त उपाय करके एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

6. जब किसी पक्षकार के पास यह मानने के उचित आधार हों कि दूसरे पक्षकार ने इस अनुच्छेद के विमानन संरक्षा उपबंधों से विचलन किया है, तो उस पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारयों के साथ तत्काल परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे अनुरोध की तारीख से 15 दिनों के भीतर संतोषजनक समझौता न हो पाना उस पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के संचालन प्राधिकारी को रोकने, निरस्त करने, सीमित करने या उस पर शर्तें लगाने का आधार होगा। आपातकाल की स्थिति में कोई भी पक्षकार 15 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले अंतरिम कार्रवाई कर सकता है।

7. पैराग्राफ (6) के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई दूसरे पक्षकार द्वारा इस अनुच्छेद के उपबंधों का अनुपालन किए जाने पर बंद कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 11
वाणिज्यिक अवसर

1. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइनों) को हवाई सेवाओं तथा हवाई सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक अन्य सहायक उत्पादों और सुविधाओं के प्रचार और बिक्री के लिए दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के प्रवेश, निवास और रोजगार संबंधी कानूनों और विनियमों के अनुसार, हवाई सेवाओं तथा अन्य सहायक उत्पादों और सुविधाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक प्रबंधकीय, बिक्री, तकनीकी, परिचालन और अन्य विशेषज्ञ कर्मचारियों को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में लाने और बनाए रखने का अधिकार होगा। एयरलाइन के विकल्प पर ऐसी कर्मचारी आवश्यकताओं को उसकी अपनी किसी भी राष्ट्रीयता के कर्मचारियों द्वारा या दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में संचालित और वहाँ ऐसी सेवाएँ करने के लिए अधिकृत किसी अन्य एयरलाइन, संगठन या कंपनी की सेवाओं का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है।

3. प्रत्येक पक्षकार की कोई भी एयरलाइन दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में हवाई सेवाओं और अपने सहायक उत्पादों, सेवाओं तथा सुविधाओं की बिक्री सीधे और, एयरलाइन के विवेकानुसार, अपने एजेंटों के माध्यम से कर सकती है। इस प्रयोजन के लिए एयरलाइन को अपने स्वयं के परिवहन दस्तावेजों का उपयोग करने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र की मुद्रा में या स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में ऐसे परिवहन तथा सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

4. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइनों) को किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में, मांग पर, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में हवाई परिवहन तथा अन्य सहायक उत्पादों, सेवाओं और सुविधाओं की बिक्री के संबंध में ऐसी एयरलाइनों द्वारा अर्जित, स्थानीय रूप से वितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व तथा ऐसे राजस्व पर अर्जित ब्याज (हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही जमाराशियों पर अर्जित ब्याज सहित) को स्वतंत्र रूप से परिवर्तित और हस्तांतरित करने का अधिकार होगा। परिवर्तन और प्रेषण बिना किसी कर संबंधी प्रतिबंध के शीघ्र किया जाएगा, और उस दिन लागू विनिमय दर पर किया जाएगा जिस दिन एयरलाइन प्रेषण के लिए प्रारंभिक आवेदन करती है।

5. प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइनों) को दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में ईंधन की खरीद सहित स्थानीय खर्चों का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने की अनुमति होगी। अपने विवेकानुसार, प्रत्येक पक्षकार की एयरलाइन(एयरलाइनों) ऐसे खर्चों का भुगतान दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में दूसरे पक्षकार के राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भी कर सकती है।

6. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग इस समझौते के उद्देश्यों के अनुरूप लागू घरेलू नियमों और विनियमों के अनुसार होगा। यदि कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों द्वारा स्थानीय रूप से वितरित राशियों से अधिक स्थानीय राजस्व के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है, तो बाद वाले को पहले पक्षकार की नामित एयरलाइनों पर पारस्परिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 12
अनुसूचियों की स्वीकृति

1. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण दूसरे संविदाकारी पक्ष की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से सहमत सेवाओं के प्रारंभ से कम से कम 30 दिन पूर्व अपने विचार और स्वीकृति के लिए उड़ान अनुसूचियाँ दाखिल करने की अपेक्षा कर सकते हैं, जिनमें सेवा के प्रकार और उसकी आवृत्ति, उपयोग किए जाने वाले वायुयान के प्रकार तथा प्रत्येक बिंदु पर उड़ान के समय से संबंधित जानकारी हो। प्रत्येक आईएटीए (अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ) यातायात मौसम के लिए कम से कम 30 दिन पहले ऐसी ही जानकारी भी दी जाएगी और जब भी सहमत सेवाओं के संचालन के संबंध में कोई परिवर्तन किया जाना हो, तब भी दी जाएगी।

2. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) अन्य ऐसी जानकारी भी उपलब्ध कराएगी जो दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों को यह संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हो सकती है कि इस समझौते की आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 13
सांख्यिकी का प्रावधान

1. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरण दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों को, या अपनी नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से उपलब्ध कराने के लिए कहकर, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र से और उसके लिए सहमत सेवाओं पर प्रत्येक माह ढोए गए यातायात से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराएंगे, जिनमें ऐसे यातायात

के चढ़ने और उतरने के बिंदु दर्शाए जाएंगे। ऐसे आँकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, किंतु संबंधित माह के बाद 30 दिनों से अधिक देर से नहीं, उपलब्ध कराए जाएंगे।

2. प्रत्येक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी अनुरोध किए जाने पर दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकरणों को, या अपनी नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से उपलब्ध कराने के लिए कहकर, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र से और उसके लिए ढोए गए यातायात के वास्तविक मूल और गंतव्य से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराएंगे।

अनुच्छेद 14
टैरिफ

1. प्रत्येक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा संचालित सहमत सेवाओं के संबंध में टैरिफ प्रत्येक नामित एयरलाइन द्वारा बाजार में अपने वाणिज्यिक विचारों के आधार पर उचित स्तरों पर निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें संचालन की लागत और उचित लाभ सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

2. पैराग्राफ (1) के अंतर्गत निर्धारित टैरिफ दूसरे पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारियों के पास दाखिल करने के लिए एक पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) से अपेक्षित किए जा सकते हैं। दोनों पक्षकारों की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा दाखिल करना प्रस्तावित प्रभावी तिथि से तीस दिन से अधिक पहले आवश्यक नहीं किया जा सकता।

3. पूर्वगामी के बावजूद, प्रत्येक पक्षकार को निम्नलिखित के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा:

– ऐसे टैरिफ को रोकना जिनका अनुप्रयोग प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार का गठन करता है, जो किसी प्रतिस्पर्धी को कमजोर करने या किसी मार्ग से प्रतिस्पर्धी को बाहर करने का प्रभाव रखता है, रखने की संभावना है या जिसके लिए अभिप्रेत है;

– उपभोक्ताओं को ऐसे टैरिफ से बचाना जो प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग के कारण अत्यधिक या प्रतिबंधात्मक हों; और

– एयरलाइनों को शोषणकारी या कृत्रिम रूप से कम टैरिफ से बचाना।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में निर्धारित प्रयोजनों के लिए, एक पक्षकार के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइनों से टैरिफ निर्धारित करने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकते हैं।

5. यदि कोई पक्षकार मानता है कि दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा लगाया गया टैरिफ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) में निर्धारित विचारों के अनुरूप नहीं है, तो वह यथाशीघ्र दूसरे पक्षकार को अपने असंतोष के कारणों की सूचना देगा और परामर्श का अनुरोध करेगा, जो अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों से बाद नहीं किया जाएगा। यदि पक्षकार उस टैरिफ के संबंध में समझौते पर पहुँचते हैं जिसके बारे में असंतोष की सूचना दी गई है, तो प्रत्येक पक्षकार उस समझौते को प्रभावी करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ऐसे समझौते के अभाव में, पहले से विद्यमान टैरिफ लागू रहेगा।

अनुच्छेद 15
बहुपक्षीय समझौते

1. इस समझौते को लागू करते समय पक्षकार अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे, जहाँ तक वे उपबंध अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर लागू होते हैं।

2. यदि इस समझौते के प्रवर्तन में आने के बाद दोनों पक्षकार किसी ऐसे बहुपक्षीय समझौते के पक्षकार बनते हैं जो इस समझौते द्वारा आच्छादित विषयों को संबोधित करता है, तो कोई भी पक्षकार यह निर्धारित करने के लिए परामर्श का अनुरोध कर सकता है कि बहुपक्षीय समझौते को ध्यान में रखने के लिए इस समझौते को संशोधित किया जाना चाहिए या नहीं।

अनुच्छेद 16
परामर्श

1. कोई भी पक्षकार किसी भी समय इस समझौते की व्याख्या, अनुप्रयोग, कार्यान्वयन या संशोधन अथवा इस समझौते के अनुपालन के संबंध में लिखित रूप में परामर्श का अनुरोध कर सकता है।

2. जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत न हों, ऐसे परामर्श दूसरे पक्षकार द्वारा अनुरोध प्राप्त किए जाने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर शुरू होंगे।

अनुच्छेद 17
संशोधन

1. यह समझौता पक्षकारों के लिखित समझौते द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

2. ऐसा सहमत कोई संशोधन इस समझौते के अनुच्छेद 21 के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तन में आएगा।

3. पैराग्राफ (2) के बावजूद, पक्षकार इस समझौते के अनुलग्नक में किए गए संशोधन को तत्काल प्रभाव देने के लिए सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 18
विवादों का निपटारा

1. इस समझौते के अधीन उत्पन्न कोई विवाद जो औपचारिक परामर्श द्वारा हल नहीं हुआ है, पक्षकारों के समझौते से निर्णय के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को भेजा जा सकता है। यदि पक्षकार ऐसा सहमत न हों, तो किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर विवाद को नीचे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

2. मध्यस्थता तीन मध्यस्थों के न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित रूप में गठित की जाएगी:

(क) मध्यस्थता के अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नामित करेगा। इन दो मध्यस्थों के नामित किए जाने के 60 दिनों के भीतर वे आपसी सहमति से तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे, जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(ख) यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ नामित करने में विफल रहता है, या यदि इस पैराग्राफ के खंड (क) के अनुसार तीसरा मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जाता है, तो कोई भी पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के अध्यक्ष से आवश्यक मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति 30 दिनों के भीतर करने का अनुरोध कर सकता है। यदि परिषद का अध्यक्ष किसी एक पक्षकार की ही राष्ट्रीयता का है, तो उस आधार पर अयोग्य न होने वाला वरिष्ठतम उपाध्यक्ष नियुक्ति करेगा। यदि अध्यक्ष या वरिष्ठतम योग्य उपाध्यक्ष इस पैराग्राफ के अधीन तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, तो वह तीसरा मध्यस्थ किसी भी पक्षकार का नागरिक नहीं होगा।

3. जब तक अन्यथा सहमत न हो, मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस समझौते के अनुसार अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाएँ निर्धारित करेगा और अपनी प्रक्रिया के नियम स्वयं स्थापित करेगा। न्यायाधिकरण के गठित हो जाने पर वह अपने अंतिम निर्णय तक अंतरिम राहत उपायों की सिफारिश कर सकता है। न्यायाधिकरण के निर्देश पर या किसी पक्षकार के अनुरोध पर, मध्यस्थता किए जाने वाले सटीक मुद्दों और अपनाई जाने वाली विशिष्ट प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए सम्मेलन न्यायाधिकरण के पूर्णतः गठित होने के 15 दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा।

4. जब तक अन्यथा सहमत न हो या न्यायाधिकरण द्वारा निर्देशित न किया जाए, प्रत्येक पक्षकार न्यायाधिकरण के पूर्णतः गठित होने के 45 दिनों के भीतर एक ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। उत्तर 60 दिनों बाद देय होंगे। न्यायाधिकरण किसी पक्षकार के अनुरोध पर या अपनी पहल पर, उत्तरों के देय होने के 18 दिनों के भीतर सुनवाई करेगा।

5. न्यायाधिकरण सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर लिखित निर्णय देने का प्रयास करेगा। यदि कोई सुनवाई नहीं होती है, तो दोनों उत्तर प्रस्तुत किए जाने की तारीख के बाद 30 दिनों के भीतर। न्यायाधिकरण के बहुमत का निर्णय मान्य होगा।

6. कोई भी पक्षकार निर्णय दिए जाने के 18 दिनों के भीतर उस निर्णय के स्पष्टीकरण का अनुरोध कर सकता है और ऐसा स्पष्टीकरण अनुरोध के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

7. प्रत्येक पक्षकार, अपने राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सीमा तक, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी निर्णय या पंचाट को पूर्ण प्रभाव देगा।

8. मध्यस्थ न्यायाधिकरण के खर्चे, जिसमें मध्यस्थों की फीस और खर्च शामिल हैं, पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किए जाएंगे। इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के खंड (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद के अध्यक्ष द्वारा किए गए किसी भी खर्च को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के खर्चों का हिस्सा माना जाएगा।

अनुच्छेद 19
समापन

कोई भी पक्षकार किसी भी समय दूसरे पक्षकार को इस समझौते को समाप्त करने के अपने निर्णय की लिखित सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन को भी एक साथ भेजी जाएगी। यह समझौता सूचना प्राप्त करने के स्थान पर, दूसरे पक्षकार द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख की पहली वर्षगाँठ से ठीक पहले मध्यरात्रि में समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले पक्षकारों की सहमति से सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे पक्षकार द्वारा प्राप्ति की पावती न मिलने की स्थिति में, सूचना को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने के चौदह दिन बाद प्राप्त माना जाएगा।

अनुच्छेद 20
आईसीएओ के साथ पंजीकरण

इस समझौते और इसमें किए गए सभी संशोधनों को हस्ताक्षर किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के साथ पंजीकृत किया जाएगा।

अनुच्छेद 21
प्रवर्तन में प्रवेश

यह समझौता पक्षकारों के बीच राजनयिक नोट के आदान-प्रदान में उस बाद की नोट की तारीख को प्रवर्तन में आएगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक पक्षकार ने इस समझौते और इसके अनुलग्नक के प्रवर्तन में आने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाएँ पूरी कर ली हैं।

यह समझौता इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार और भारत सरकार के बीच उनके संबंधित क्षेत्रों के बीच और उससे आगे हवाई सेवाओं के लिए 18 सितंबर, 1968 को जकार्ता में हस्ताक्षरित समझौते का स्थान लेगा।

उपर्युक्त के साक्ष्य में, नीचे हस्ताक्षर करने वाले, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होकर, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

यह समझौता 25वें दिन (माह और वर्ष) को दो प्रतियों में अंग्रेजी भाषा में किया गया, जो प्रामाणिक पाठ होगा। समझौते का हिंदी और इंडोनेशियाई भाषाओं में अनुवाद तैयार किया जाएगा और उन अनुवादों को राजनयिक नोट के आदान-प्रदान द्वारा अंग्रेजी भाषा के पाठ के अनुरूप होने की पुष्टि किए जाने पर समान रूप से प्रामाणिक माना जाएगा। किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार की ओर से

अनुलग्नक
मार्ग अनुसूची

(यात्री/संयोजन सेवाएँ)

खण्ड I

इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा दोनों दिशाओं में संचालित किए जाने वाले मार्ग:

मार्ग	उद्गम बिंदु	मध्यवर्ती बिंदु	भारत में बिंदु	आगे के बिंदु
मार्ग 1 (5वें अधिकारों	इंडोनेशिया में बिंदु	कोलंबो, साइगॉन, नोम पेन्ह, बैंकॉक,	मुंबई, दिल्ली, चेन्नई,	कोई भी बिंदु

सहित)		कुआलालंपुर, सिंगापुर	कोलकाता	
मार्ग 2 (5वे अधिकारों के बिना)	जकार्ता, मेडान, देनपसार, सुराबाया	–	पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, गया, वाराणसी, भुवनेश्वर, खजुराहो, औरंगाबाद, गोवा, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, अमृतसर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, तिरुचिरापल्ली	–

खण्ड II

भारत की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा दोनों दिशाओं में संचालित किए जाने वाले मार्ग:

मार्ग	**भारत में उद्गम बिंदु**	**मध्यवर्ती बिंदु**	**इंडोनेशिया में बिंदु**	**आगे के बिंदु**
मार्ग 1 (5वें अधिकारों सहित)	भारत में बिंदु	कोलंबो, साइगॉन, नोम पेन्ह, बैंकॉक, कुआलालंपुर, सिंगापुर	जकार्ता, मेडान, देनपसार, सुराबाया	कोई भी बिंदु
मार्ग 2 (5वें स्वतंत्रता अधिकारों के बिना)	पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, गया, वाराणसी, भुवनेश्वर, खजुराहो, औरंगाबाद, गोवा, जयपुर, पोर्ट ब्लेयर, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, अमृतसर, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, तिरुचिरापल्ली	–	जकार्ता, मेडान, देनपसार, सुराबाया	–

खण्ड III

1. अनुभाग I और अनुभाग II में उल्लिखित बिंदुओं को आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में सेवा दी जाए जिस क्रम में वे नामित हैं।

2. विनिर्दिष्ट मार्गों पर मध्यवर्ती और आगे के बिंदुओं को नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) के विकल्प पर किसी एक या सभी उड़ानों में छोड़ा जा सकता है।

3. खण्ड I और खण्ड II में विनिर्दिष्ट न किए गए मध्यवर्ती या आगे के बिंदुओं की सेवा की जा सकती है, बशर्ते ऐसे बिंदुओं और दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में किसी बिंदु के बीच 5वीं स्वतंत्रता यातायात अधिकारों का प्रयोग न किया जाए।

4. एक पक्षकार के क्षेत्र में दो या अधिक बिंदुओं की सेवा दूसरे पक्षकार की नामित एयरलाइन(एयरलाइनों) द्वारा एक ही उड़ान में नहीं की जाएगी।